प्रेस नोट दिनांक-27.10.2025

थाना व जनपद चंदौली

🔷 **थाना चंदौली पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 01 कार से परिवहन किया जा रहा 52.100 किग्रा अवैध गांजा बरामद कर 01 तस्कर को किया गया गिरफ्तार**

🔷 **बरामद गांजा की अनुमानित कीमत लगभग 13 लाख रुपए**

चन्दौली- श्री पीयूष मोर्डिया अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी, श्री वैभव कृष्ण पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र वाराणसी द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुपालन में आदित्य लाग्हें, पुलिस अधीक्षक चन्दौली द्वारा अवैध मादक पदार्थ की तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाने व तस्करी में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिये गये निर्देशो के अनुपालन के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर, अनन्त चन्द्रशेखर(IPS) के कुशल पर्वेक्षण में देवेन्द्र कुमार क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल नेतृत्व मे दिनांक-27.10.2025 को थाना चंदौली पुलिस टीम द्वारा लीलापुर फाटक हाइवे के पास संदिग्ध व्यक्ति, वाहन, वस्तु की चेकिंग की जा रही थी कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली की एक सफेद कलर की टाटा माँजा मे वीआईपी नम्बर प्लेट पीछे लगा है तथा आगे नम्बर प्लेट नही लगा है वह चोरी की गाडी है इस समय नौबतपुर पार कर वाराणसी जायेगी। उक्त सूचना के आधार पर थाना चंदौली पुलिस टीम द्वारा वाजिदपुर की ओर जाने वाले मार्ग के सामने नेशनल हाईवे पर उपरोक्त वाहन की दृष्टिगत चेकिंग की जाने लगी कि कुछ ही समय़ पश्चात 01 कार जिसका नम्बर MP21ZF0001 आती हुई दिखाई दी जिसे आने जाने वाले अन्य वाहनों की मदद से मौके पर ही रोक लिया गया। वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया गया जिसकी पहचान नाम चाँद बाबू पुत्र खली कुंज्जजमा निवासी वार्ड नम्बर 15 सुभाष नगर सैदपुर गाजीपुर उम्र करीब 36 वर्ष के रुप में हुई। वाहन को चेक किया गया तो वाहन में दो नम्बर प्लेट UP65BD3842 पाया गया व अलग-अलग सेब की पेटियों में बंद पैकटों व 02 कपड़े के झोले में कुल 52.100 किलो अवैध गांजा बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय द्वारा मु0अ0स0-304/2025 में धारा-8/20/60 एनडीपीएस एक्ट व 318(4) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ विवरण-

पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा बताया गया कि यह गांजा मै बिहार से ला रहा हूँ तथा कटनी मध्य प्रदेश गाड़ी मालिक के पास ले जा रहा हूँ माल लोड गाडी मुझे बिहार मे मलिहा से मिला है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1.चाँद बाबू पुत्र खली कुंज्जजमा निवासी वार्ड नम्बर 15 सुभाष नगर सैदपुर गाजीपुर उम्र करीब 36 वर्ष

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0स0-304/2025 में धारा-8/20/60 एनडीपीएस एक्ट व 318(4) बीएनएस थाना व जनपद चंदौली
2.मु0अ0स0-196/2017 में धारा-307 भादवि थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर
3.मु0अ0स0-197/2017 में धारा-3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर
4.मु0अ0स0-56/2018 में धारा-379,411,413,414,419,420,467,468,471 भादवि थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर
5.मु0अ0स0-96/2018 में धारा-379 व 411भादवि थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर
6.मु0अ0स0-143/2018 में धारा-216,307,411,413,414,419,420,467,468,471 थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर
7.मु0अ0स0-170/2018 में धारा-41,411,413,414,419,420,467,468,471 भादवि थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर

8.मु0अ0स0-161/2019 में धारा-379 व 411भादवि थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर
9.मु0अ0स0-166/2019 में धारा-379 व 411भादवि थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर
10.मु0अ0स0-174/2018 में धारा-3/25 आर्म्स एक्ट थाना रानीपुर जनपद मऊ

बरामदगी का विवरण-

1.कुल 52.100 किलो गाजां
2.दो नम्बर प्लेट UP65BD3842
3.एक गाडी का नम्बर MP21ZF0001

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम–

1.क्षेत्राधिकारी सदर देवेन्द्र कुमार जनपद चन्दौली
2.प्रभारी निरीक्षक संजय़ कुमार सिंह थाना व जनपद चन्दौली
3.उ0नि0 रावेन्द्र सिह थाना व जनपद चन्दौली
4.का0 रुपेश दुबे थाना व जनपद चन्दौली
5.का0 प्रियेश यादव थाना व जनपद चन्दौली